

१. 2348-2397

प्राचीन



BI-LINGUAL INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

SHODH SARITA

Vol. 1, Issue 2, April - June 2015

Page Nos. 43-46

52

## उच्चशिक्षा में आर्थिक सहायता : एक विश्लेषण

श्रीमती पवन\*

### शोध सारांश

शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से ही मानवजाति द्वारा सहस्रों वर्षों के अनुभव बालक को त कर दिये जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज की संस्कृति को ग्रहण करते हुए आत्मविकास के पथ पर अग्रसर परन्तु युग बदलने के साथ शिक्षा के स्तर में भी परिवर्तन हुआ है। आज सरकार तथा स्वयन्त्रशासी संस्थान इस ओर कंदम बढ़ा चुके हैं। परन्तु वित्त की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है तो शैक्षिक संरचना के सभी स्तरों में समन्वय करते हुए सरकार को महत्वपूर्ण ने होंगे।

सित और विकासशील समाज के निर्माण में उच्चशिक्षा का मानी जाती है। उच्चशिक्षा किसी भी देश की उम्पन्ता का घोतक है यह राष्ट्र के विकास की क है। यह ऐसे मानव को प्रोत्साहन देता है जो जिक, नैतिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आ एक विकसित एंव क्रियाशील समाज का निर्माण

में आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ अंग्रेजों द्वारा किया 54 में बुड के घोषणा पत्र के पश्चात सन् 1857 में बड़ व मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की विविद्यालयों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार के न्त्री प्राप्ति के समय तक भारत में 21 विश्वविद्यालय फ़ेथे।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उच्च आकार हो गया है। विश्व में उच्चशिक्षा के विस्तार तक का दूसरा स्थान है। प्राचीन समय में शैक्षिक विषय का भार शासक के साथ-साथ समाज पर भी द्वारा दिया गया आर्थिक दान किसी व्यक्तिगत करके सामाजिक हित के लिए किया जाता था। साथ इसमें परिवर्तन आता गया और शुल्क के रूप लिया जाने लगा जो शिक्षण संस्थाओं के व्यय का इन करता था।

विद्यालयों के वित्तीय संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी परन्तु देश में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू पूर्णनिर्माण में शिक्षा के व्यापक महत्व को स्वीकार

करते हुए शिक्षा का दायित्व सरकार पर डाला गया। उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत में शिक्षा सम्बन्धी आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) का गठन सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णनन् की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने राज्य द्वारा उच्च शिक्षा को आर्थिक सहायता वहन करने की सिफारिश की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्चशिक्षा के विस्तार व विकास को उपयुक्त दिशा प्रदान करने के लिए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की स्थापना का भी सुझाव दिया जिसे वर्ष 1956 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाकर एक मूर्त रूप प्रदान किया।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी उच्चशिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का भार सरकार पर डाला और कहा कि "यदि शिक्षा का विकास और राष्ट्र की प्रगति की जानी है तो उच्च शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना होगा"

डा० कोठारी का मत था कि धन की व्यवस्था करना राज्यों का कर्तव्य है क्योंकि राज्य इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्होंने शिक्षा पर कर लगाने का सुझाव भी दिया। शिक्षा आयोग ने भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक सशक्त बनाने और उच्च शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के साथ-साथ उनमें गुणवत्ता बनाए रखने का उत्तदायित्व देने का सुझाव दिया।

If education is to develop adequately educational expenditure in the next years should raise from 12 per capita in 1965-66 to Rs. 54 in 1985-86.

National Education